INDIA NON JUDICIAL

IN-UP22718324291301W

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Name ACC - Sunil Chaturv
ACC Code - UP14103604
Licence No. 19/2013-2014
Teh. & Distt. - MATHUR

Certificate No.	:	IN-UP22718324291301W
Certificate Issued Date	:	12-Apr-2024 04:06 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14103604/ MATHURA/ UP-MTH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1410360441536853796105W
Purchased by	:	NEERU SHARMA
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	KRISHNA GREENS RESIDENCY MAUJA KOTA TEHSIL AND DISTT MATHURA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	KRISHNA GREENS DEVELOPERS
Second Party	:	NEERU SHARMA
Stamp Duty Paid By	:	NEERU SHARMA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	95,000 (Ninety Five Thousand only)

LOCKED

Please write or type below this line

QE 0003695084

।। जय माता दी।।

1. भूमि का प्रकार : आवासीय भूखण्ड एप्रूव्ड
2. आवासीय कॉलौनी का नाम : **कृष्णा ग्रीन्स रेजीडेन्सी**
3. मौहल्ला/ग्राम : **स्थित मौजा कोटा** तहसील व जिला मथुरा
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं.) : **भूखण्ड नं0–03–ई**
5. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 167.23 **वर्ग मीटर**
6. सड़क की स्थिति (परिशिष्ठ के अनुसार) : 6 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित है
7. प्रतिफल की धनराशि 15,00,000/–रू.,
8. सरकारी मालियत : 13,80,000/–रू.,
9. महिला क्रेता होने के कारण देय स्टाम्पः 95,000/– रूपये का ई–स्टाम्प संलग्न है
10. उक्त क्षेत्र की जमीनों का सरकारी रेट–7500/+750/=8250/–प्रति वर्गमीटर किन्तु पार्क फेसिंग होने के कारण 10 प्रतिशत अतिरिक्त जो नवीन दर सूची के पेज नं. 10 क्रमांक 109 कोड नं0–1163 पर दर्ज है, कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक द्वितीय, मथुरा।

परियोजना रेरा सं0–UPRERAPRJ645697

<u>प्रथम पक्ष विक्रेता</u>

कृष्णा ग्रीन्स डवलपर्स जो एक साझीदारी फर्म है जिसका प्रधान कार्यालय मौजा कोटा छरौरा एन एच–19, आईओसीएल पैट्रोल पम्प के पास, मथुरा है PAN-AAYFK5831H, RERA No.UPRERAPRM224298 द्वारा अधिकृत साझीदारान **संजय कुमार जैन पुत्र श्री लोकचन्द जैन निवासी–बी–39, मोतीकुंज, मथुरा व विपिन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मोतीलाल अग्रवाल निवासी–40, धौलीप्याऊ रोड़, मयूर बिहार, मथुरा** मो0–9412727709

..... विक्रेता प्रथमपक्ष

द्वितीय पक्ष क्रेता
नीरू शर्मा पुत्री स्व0 सरवन कुमार निवासी–म0नं0–1600, सनातन धर्म मन्दिर के पास, सेक्टर–9, फरीदाबाद हरियाणा–1211006
PAN-BGPPS3285K Mo.9990620129

..... क्रेता द्वितीयपक्ष

.....

पक्षगण इस लेखपत्र के है।

जो कि **भूखण्ड नं0–03–ई** जिसकी पैमाइशी–पूरब–9.14 मीटर, पश्चिम–9.14 मीटर, उत्तर–18.29 मीटर, दक्षिण–18.29 मीटर, क्षेत्रफल–167.23 वर्ग मीटर, जिसकी सीमा यह है–

पूरब –प्लाट नम्बर–55–ई व 56–ई
पश्चिम –रास्ता कॉलौनी व पार्क
उत्तर –प्लाट नम्बर–02–ई
दक्षिण –प्लाट नम्बर–04–ई

स्थित **मौजा कोटा अन्दरून कृष्णा ग्रीन्स रेजीडेन्सी कॉलौनी,** तहसील व जिला मथुरा जिसको संलग्न नक्शे में रंग लाल से दिखाया गया है, जो खसरा नं0–89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 166, 167, 168 व 171 की भूमि में स्थित है जिन खसरा नम्बरान की कुल भूमि क्षेत्रफल–99650.91 वर्गमीटर में से क्षेत्रफल–91836.60 वर्गमीटर विकसित की जा रही है, मिल्कियत विक्रेता फर्म की है जिस कुल जमीन को विक्रेता फर्म कृष्णा ग्रीन्स डवलपर्स ने पृथक पृथक बैनामा दिनांक 29.07.2022 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 11206 प्रलेख सं0–12201 पर हुयी है खसरा नं0–90 की भूमि सम्पूर्ण काम्पलैक्स प्रा0 लि0 से खरीद की व बैनामा दिनांक 29.08.2022 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 11259 प्रलेख सं0–13982 पर हुयी है खसरा नं0–92 की भूमि वृन्दावन स्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्टस प्रा0लि0 से खरीद की व बैनामा दिनांक 13.09.2022 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 11292 प्रलेख सं0–15019 पर हुयी है खसरा नं0–93 की भूमि अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लि0 से खरीद की व बैनामा दिनांक 13.09.2022 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 17683 प्रलेख सं0–19695 पर हुयी है खसरा नं0–93 की भूमि राशि बिल्डकॉन प्रा0 लि0 से खरीद की व बैनामा दिनांक 29.07.2022 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 11206 प्रलेख सं0–12200 पर हुयी है खसरा नं0–95 की भूमि वृन्दावन स्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्टस प्रा0लि0 से खरीद की व बैनामा दिनांक 29.07.2022 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 11206 प्रलेख सं0–12199 पर हुयी है खसरा नं0–96 की भूमि वृन्दावन स्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 से खरीद की व बैनामा दिनांक 29.07.2022 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 11206 प्रलेख सं0–12198 पर हुयी है खसरा नं0–97 की भूमि वृन्दावन स्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 से खरीद की व बैनामा दिनांक 29.07.2022 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 11206 प्रलेख सं0–12197 पर हुयी है खसरा नं0–98 की भूमि वृन्दावन स्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 से खरीद की व बैनामा दिनांक 29.08.2022 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 11259 प्रलेख सं0–13984 पर हुयी है खसरा नं0–166 की भूमि वृन्दावन स्ट्रक्चर एण्ड

प्रोजेक्टस प्रा0लि0 से खरीद की व बैनामा दिनांक 18.01.2023 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 17959 प्रलेख सं0–1233 पर हुयी है खसरा नं0–166 की भूमि वृन्दावन स्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 से खरीद की व बैनामा दिनांक 18.01.2023 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 17959 प्रलेख सं0–1232 पर हुयी है खसरा नं0–167 की भूमि वृन्दावन स्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 से खरीद की व बैनामा दिनांक 26.11.2022 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द–17815 प्रलेख सं0–24008 पर हुयी है खसरा नं0–168 की भूमि कुशाग्र रियल एस्टेट प्रा0 लि0 से खरीद की व बैनामा दिनांक 29.08.2022 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 11259 प्रलेख सं0–13983 पर हुयी है खसरा नं0–171 की भूमि वृन्दावन स्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 से खरीद की व खसरा नम्बर–89 बैनामा दिनांक 22.12.2023 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 18796 प्रलेख सं0–26551 पर हुयी है खसरा नं0–89 की भूमि रमेश चन्द पुत्र श्री बसंता (बसन्तलाल) से खरीद की वक्त खरीदारी उक्त खसरा नम्बरान की भूमि काफी खार खड्डेदार थी जिसे प्रथमपक्ष काफी लागत लगाकर भर्त कराकर इकसार व हमवार कर विकसित किया बादहू विक्रेता फर्म द्वारा उक्त खसरा नंबरान की भूमि को आवासीय उद्देश्य से विकसित करने हेतु उसमें विभिन्न विकास कार्य कराये और उक्त कालौनी का मानचित्र मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा से दिनांक 13.01.2023 को मानचित्र सं0–एमवीडीए/एलडी/22–23/0550 व संशोधित मानचित्र सं0 एमवीडीए/एलडी/23–24/0097 दिनांक 16.05.2023 द्वारा स्वीकृत है और उक्त कालौनी **कृष्णा ग्रीन्स रेजीडेन्सी** की उक्त कुल भूमि एकमात्र मिल्कियत विक्रेता फर्म की है जिस पर विक्रेता फर्म का ही कब्जा है सिवाय विक्रेता फर्म के उक्त भूखण्ड का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है तथा उक्त भूखण्ड प्रत्येक प्रकार के झगड़े झंझट कर्जे जमानत आदि से पूर्णतः पाक साफ है और न किसी सरकारी संस्थान बैंक आदि में रहन या गिरवी आदि है और न किसी डिक्री आदि में नीलाम या कुर्क है और ना ही विक्रेता फर्म ने उक्त भूखण्ड की बाबत कोई इकरारनामा किसी के साथ तय किया है तथा विक्रेता फर्म को उक्त भूखण्ड की बाबत पूरे मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है जो विक्रेता फर्म को उक्त भूखण्ड के विक्रय व हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रूकावट आदि पैदा कर सके। खरीदार ने मौके पर विक्रय भूखण्ड को व उसकी मिल्कियत सम्बन्धी समस्त कागजात को भली प्रकार देख व समझ लिया है जिससे वह पूर्णतया संतुष्ट है **हम संजय कुमार जैन व विपिन कुमार अग्रवाल** को विक्रेता फर्म **कृष्णा ग्रीन्स डवलपर्स** व उसके अन्य साझीदारान द्वारा उक्त भूखण्ड को विक्रय करने एवं बैनामा पंजीकृत करने आदि हेतु पूर्ण अधिकृत किया हुआ है यानि हमको उक्त भूखण्ड का बैनामा रजिस्ट्री निबंधन कराने व रूपया प्राप्त करने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त है। अतः उक्त भूखण्ड को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हो यानि कुल को बिना छोड़े किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के मय राईटस व इन्ट्रेस्ट व टाईटिल के समस्त हकूक व अधिकारों सहित वखुशी वराजी अपने वऐवज 15,00,000/रू. (पन्द्रह लाख रूपया) में बदस्त **नीरू शर्मा पुत्री स्व0 सरवन कुमार निवासी–म0नं0–1600, सनातन धर्म मन्दिर के पास, सेक्टर–9, फरीदाबाद हरियाणा–1211006** क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में बेच दिया और कीमत का कुल रूपया विक्रेता ने द्वितीयपक्ष से नीचे लिखे अनुसार प्राप्त कर व कुल

रूपये की प्राप्ति होना अंगीकार कर कब्जा व दखल बेचे गये भूखण्ड पर द्वितीयपक्ष का वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया क्रेता द्वितीय पक्ष एकमात्र स्वामी **भूखण्ड की हो गयी** जिसकी बाबत वह कुल अधिकारात मालिकाना काबिजाना व हस्तान्तरण आदि के अपने प्रयोग में लावें और एकमात्र स्वामी के रूप में क्रेता भूखण्ड को रिहायशी इस्तेमाल करें क्रेता बहैसियत स्वामी अपने रिहायशी उपयोग में लावें उसे लाभान्वित हों यानि भूखण्ड को क्रेता निम्न प्रतिबन्धों की पाबन्दी के साथ खुद जो चाहें सो करें। अब उक्त विक्रेता फर्म व उसके स्थानापन्न व पदाधिकारियों को बेचे गये भूखण्ड से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा न आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। यदि बेचे गये भूखण्ड की मिल्कियत की बाबत कभी कोई विवाद किसी प्रकार का उत्पन्न हो अथवा बेचे गये भूखण्ड का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा कर्दा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा सब उक्त विक्रेता फर्म के जिम्मे है क्रेता विक्रेता फर्म के द्वारा किये गये विकास कार्य से पूर्णतया सन्तुष्ट है उक्त भूखण्ड की कीमत में आन्तरिक विकास शुल्क शामिल है भूखण्ड धारक द्वारा निर्माण कार्य शुरू कराते समय बैनामा के अनुसार पैमायश की पुष्टि करानी होगी। निर्माण एमवीडीए द्वारा पास मानचित्र के अनुसार ही क्रेता को खरीदे हुये भूखण्ड के अन्दर ही करना होगा। यह कि भूखण्ड धारक उक्त भूखण्ड का डिमार्केशन अधिकृत अधिकारी/फर्म द्वारा कराकर नीम खोदकर बाउण्ड्री की प्लिन्थ भरकर तथा नींव भरते समय डांडे छोड़कर पुनः चैक कराकर चैंकिग प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, पैमायश में त्रुटि होने पर भूखण्ड धारक को खुद ठीक करानी होगी यदि भूखण्ड धारक ठीक नहीं कराता है तो उसे तुड़वाकर हर्जा–खर्चा भूखण्ड धारक से वसूल करने का अधिकार विक्रेता फर्म को होगा। यह कि भूखण्ड धारक को बिजली का कनैक्शन बिजली विभाग से नियमानुसार लेना होगा कोई जम्फर आदि नहीं डालेगा व पाइप लाइन का कनैक्शन अपनी साइड की सबसे नजदीकी लाइन से अधिकृत अधिकारी/संस्था से लेना होगा। कालौनी में भविष्य में कराये जाने वाले विकास अथवा विकास के रख रखाव के दौरान जैसे चाहे रैम्प तुड़वाकर कार्य कराने का अधिकृत अधिकारी/संस्था को अधिकार होगा। क्रेता द्वारा सभी विकास कार्य एम वी डी ए द्वारा पास मानचित्र के अनुसार अपने क्रय किये गये भूखण्ड की सीमा के अन्तर्गत ही करना होगा किसी भी प्रकार की रैम्प, क्यारी व गमला व अन्य किसी भी प्रकार का अतिक्रमण क्रय किये गये भूखण्ड की सीमा के बाहर अनुमन्य नहीं होगा। यह कि भूखण्ड धारक को अपने मकान की सैट बैक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमानुसार ही छोड़नी होगी। भूखण्ड धारक के भूखण्ड के दो तरफ रास्ता या पार्क होने पर जो कि गेट के लिये निर्धारित (दिशा) रोड़ है उसकी तरफ एक ही दिशा में गेट निकाल सकेगा व दूसरी तरफ मार्ग या रास्ते में सिर्फ खिड़की निकाल सकेगा। छज्जा रैम्प आदि भूखण्ड की सीमा के अन्दर ही बनायेगा व कूलर व ए0सी0 आदि भूखण्ड की सीमा के बाहर नहीं रख सकेगा और न किसी प्रकार से अतिक्रमण कर सकेगा। भूखण्ड धारक द्वारा निर्माण के समय प्लिंथ की ऊँचाई नियमानुसार ही रखनी होगी एवं ग्राउण्ड फ्लोर का लेविल सामने की सड़क से 12 इंच ऊंचा व अन्दर का इससे 6 इंच ऊंचा यानि कुल मिलाकर 18 इंच से अधिक ऊंचा न हो सकेगा। खरीदार मकान बनाते समय लैट्रिन का टैंक अपने भूखण्ड की सीमा के अन्दर स्वयं ही बनायेगा। पेड़ पौधे गमले, सड़क, पार्क,

आदि जन सुविधाओं का किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करने या उसके द्वारा किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित व्यक्ति की होगी। किसी भी भूखण्ड धारक द्वारा भूखण्ड का उपयोग रिहायशी मकान के अलावा बदलकर कमर्शियल दुकान, पार्क रास्ता आदि का निर्माण व उपयोग करना तथा कालौनी की चार दीवारी आदि तोड़ना, चार दीवारी के उद्देश्य पूर्ति में बाधा उत्पन्न करना अवैध व वर्जित होगा। उक्त भूखण्ड में कोई पालतू जानवर, कुत्ता, गाय भैंस बकरी आदि नहीं रख व पाल सकेगा और ट्रैक्टर व ट्रोली, ट्रक, बस, टैम्पू आदि कामर्शियल व बड़े वाहन कालौनी के अन्दर अनिवार्य रूप से नहीं रख सकेगा। कालौनी के गेट, बाउण्ड्रीवाल, पेड़, पार्क, स्ट्रीट लाईट, नालियां, मेन हाल, पानी की सप्लाई, पानी की टंकी व मन्दिर आदि हर प्रकार की सार्वजनिक सुविधायें जो अब है व भविष्य में विकसित होगी उनको उपयोग में लेने के लिये विक्रेता/विकासकर्ता फर्म/फर्म के साझीदारों द्वारा भविष्य में एक्सटेंशन/कालौनी विस्तार/एरिया वृद्धि करने के लिये प्राधिकरण से नक्शा पास कराने के लिये या कोई कनैक्शन लेने के लिये व हर प्रकार से पूर्णरूपेण स्वतंत्र होंगें। जिसमें क्रेता को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। इसमें क्रेता की तरफ से पूर्ण सहमति है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नये शासनादेशों के अनुसार यदि कालौनी के अन्दर आन्तरिक विकास कार्यों के रूप में रेन वाटर हारवेस्टिंग यूनिट तथा सीवेज एवं उन्स्राव ट्रीटमेन्ट यूनिट का अतिरिक्त निर्माण किया जाता है तो भूखण्ड क्रेता द्वारा यूनिटों के निर्माण पर आने वाले खर्च का भुगतान विक्रेता प्रथमपक्ष की डिमाण्ड पर 30 दिनों के भीतर अदा करना होगा। विक्रेता फर्म द्वारा कालौनी की सुविधाओं/अधिस्थापनाओं हेतु प्रबन्ध व्यवस्था नगर निगम या अन्य समकक्ष निकायों द्वारा भविष्य में की जायेगी लेकिन जब तक व्यवस्थायें अधीनस्थ निकाय द्वारा अपने हाथ में नहीं ली जाती है तब तक इस कार्य को सम्पादित करने के लिये विक्रेता फर्म द्वारा एक अधिस्थापना कोष की रचना की जायेगी व खरीदार से निर्धारित अधिस्थापना जमा राशि बैनामा से पूर्व ली जायेगी यह राशि अधिस्थापना कोष का भाग रहेगी। इस कोष से व इसकी ब्याज से व उक्त कोष के अन्य तरीके से इन्वैस्टमेंट से प्राप्त धनराशि से कालौनी में जन सुविधाओं की प्रबन्ध व्यवस्था की जायेगी, लेकिन इन सुविधाओं के सम्बन्ध में नियमित व्यय रैकरिंग एक्सपैसिस खरीदार द्वारा जितना शुल्क कम पड़ेगा उतना शुल्क मासिक जन सुविधा शुल्क के रूप में क्रेता द्वारा अदा किया जायेगा। जिसे विक्रेता फर्म को नियमानुसार विलम्ब शुल्क के साथ कानूनी कार्यवाही कर वसूनले का अधिकार होगा। उक्त भूखण्ड विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर व नगरनिगम मथुरा वृन्दावन की सीमा व आवासीय क्षेत्र के अन्दर स्थित है भविष्य में विक्रय भूखण्ड पर लगने वाले समस्त बाह्य/आन्तरिक विकास शुल्क टैक्स आदि को अदा करने की जिम्मेदारी खरीदार की होगी। कालौनी सिर्फ शान्ती पूर्वक रहकर साफ सुथरा रखते हुए शिक्षित व सभ्य समाज के लिये रिहायशी इस्तेमाल हेतु बनाई गयी है कालोनी विकास रख रखाव आदि सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित सभी नियम व शर्तें खरीददार द्वारा मान्य होगीं। खरीदार उक्त या अन्य ऐसा कोई कार्य नही करेगा जिससे उद्देश्य धूमिल हों या अन्य निवासियों को कष्ट हो। यदि कोई ऐसा करेगा तो विक्रेता फर्म अथवा रख रखाव समिति या संस्था अन्य कालौनी निवासियों को पब्लिक न्यूसैन्स के आधार पर बिना कानूनी कार्यवाही रोकने व हटाने का अधिकार होगा। निर्माण के दौरान निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुपालन की

आवेदन सं०: 202400764022723

विक्रय पत्र

वर्ष: 2024

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 8599

प्रतिफल- 1500000 स्टाम्प शुल्क- 95000 बाजारी मूल्य - 1500000 पंजीकरण शुल्क - 15000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 15060

श्री कृष्णा ग्रीन्स डवलपर्स साझीदारान संजय कुमार जैन आदि द्वारा
कृपाल सिंह प्रमाणीकृत मुख्तार,
पुत्र श्री हरपाल सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: 33बी गुरू नानक नगर मथुरा

श्री, कृष्णा ग्रीन्स डवलपर्स साझीदारान संजय कुमार जैन आदि द्वारा कृपाल सिंह प्रमाणीकृत मुख्तार
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 15/04/2024 एवं
10:40:34 AM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सतीश चौधरी प्रभारी
उप निबंधक :सदर प्रथम
मथुरा
15/04/2024

प्रदीप उपाध्याय .
निबंधक लिपिक
15/04/2024

प्रिंट करें

सुनिश्चितता लिखित रूप में करनी होगी और यदि क्रेता भविष्य में उक्त भूखण्ड को या उस पर किये गये निर्माण को किसी अन्य को विक्रय करता है तो प्रलेख में वर्णित समस्त पाबन्दियॉ तत्समय क्रेता पर लागू होगी जिसकी पुष्टि प्रलेख में लिखित रूप से करना अनिवार्य होगा।
खर्चा बैनामा स्टाम्प फीस आदि क्रेता ने वहन किया है।
तस्दीकी मुख्तारनामा आम दिनांक 06.04.2023 जिसकी निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नं0 6 जिल्द 10 सफा 117–126 नं0–12 पर हुयी है के द्वारा कृपाल सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह निवासी–33बी, गुरू नानक नगर, मथुरा को संजय कुमार जैन व विपिन कुमार अग्रवाल के द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख निबंधन हेतु प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

<u>विवरण कीमत का कुल रूपया प्राप्ति का–</u>

कीमत के कुल रूपयों में से प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से 15,00,000/–रूपये आर टी जी एस दिनांक–02.04.2024 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया इस प्रकार कुल मिजान 15,00,000/–रूपये प्राप्त किये।

आवेदन सं०: 202400764022723

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 8599 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री कृष्णा ग्रीन्स डवलपर्स साझीदारान संजय कुमार जैन आदि के द्वारा कृपाल सिंह , पुत्र श्री हरपाल सिंह

निवासी: 33बी गुरू नानक नगर मथुरा

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

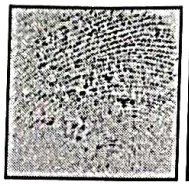


कुमारी नीरू शर्मा, पुत्री श्री स्व० सरवन कुमार

निवासी: म०न०–1600 सनातन धर्म मन्दिर के पास सेक्टर–9 फरीदाबाद हरियाणा

व्यवसाय: अन्य

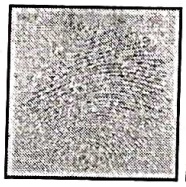


ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री गजेन्द्र सिंह , पुत्र श्री हुकम सिंह

निवासी: 2 बी बी एस ए कॉलेज के पास द्वारिकापुरी मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2


श्री दुर्गेश कुमार , पुत्र श्री दीनदयाल

निवासी: ग्राम सनौरा फराह तह० व जिला मथुरा

व्यवसाय: अन्य


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :नोट– विक्रेता ने प्रलेख में दिये गये विवरण के अनुसार प्रतिफल प्राप्त करना स्वीकार किया।

सतीश चौधरी प्रभारी
उप निबंधक : सदर प्रथम
मथुरा
15/04/2024

प्रदीप उपाध्याय .
निबंधक लिपिक मथुरा
15/04/2024

प्रिंट करें

इसलिए यह बैनामा प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के हक में अपनी राजी खुशी से लिख दिया, ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हें पढ़ा व सुना कर, ड्राफ्ट व टाइप कर निबंधन हुत पक्षकारगण के सुपुर्द किया गया।

Chandra Mohan Sharma
Advocate
Licence No. UP 7627/2018
Collectrate Compound Mathura

दिनांक–15.04.2024
टाईप किया–आई क्यू
ड्राफ्ट किया–चन्द्रमोहन शर्मा एडवोकेट मथुरा

गवाह–गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह
निवासी–2 बी, बी एस ए कॉलेज के पास
द्वारिकापुरी मथुरा
मो0–8445293400

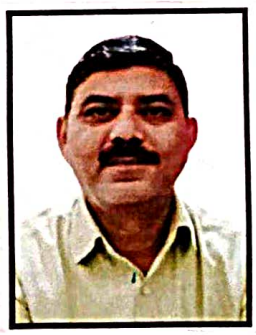

गवाह–दुर्गेश कुमार पुत्र श्री दीनदयाल
निवासी–ग्राम सनौरा, फरह, तहसील व जिला मथुरा

Durgesh Kumar

आवेदन सं०: 202400764022723

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 19111 के पृष्ठ 159 से 172 तक क्रमांक 8599 पर दिनाँक 15/04/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सतीश चौधरी प्रभारी
उप निबंधक : सदर प्रथम
मथुरा
15/04/2024

प्रिंट करें

जरीबा के मौजा - कोटा

ख.नं. 03 है. को - 167.23 वर्गमीटर

पुत्र - कुन्दा श्री - म उपलब्ध कराया संजय

कुमार जैन रकबा ल. 89 आदि

कुल्ला - नीरज शर्मा

प्लाट नं. 04 है

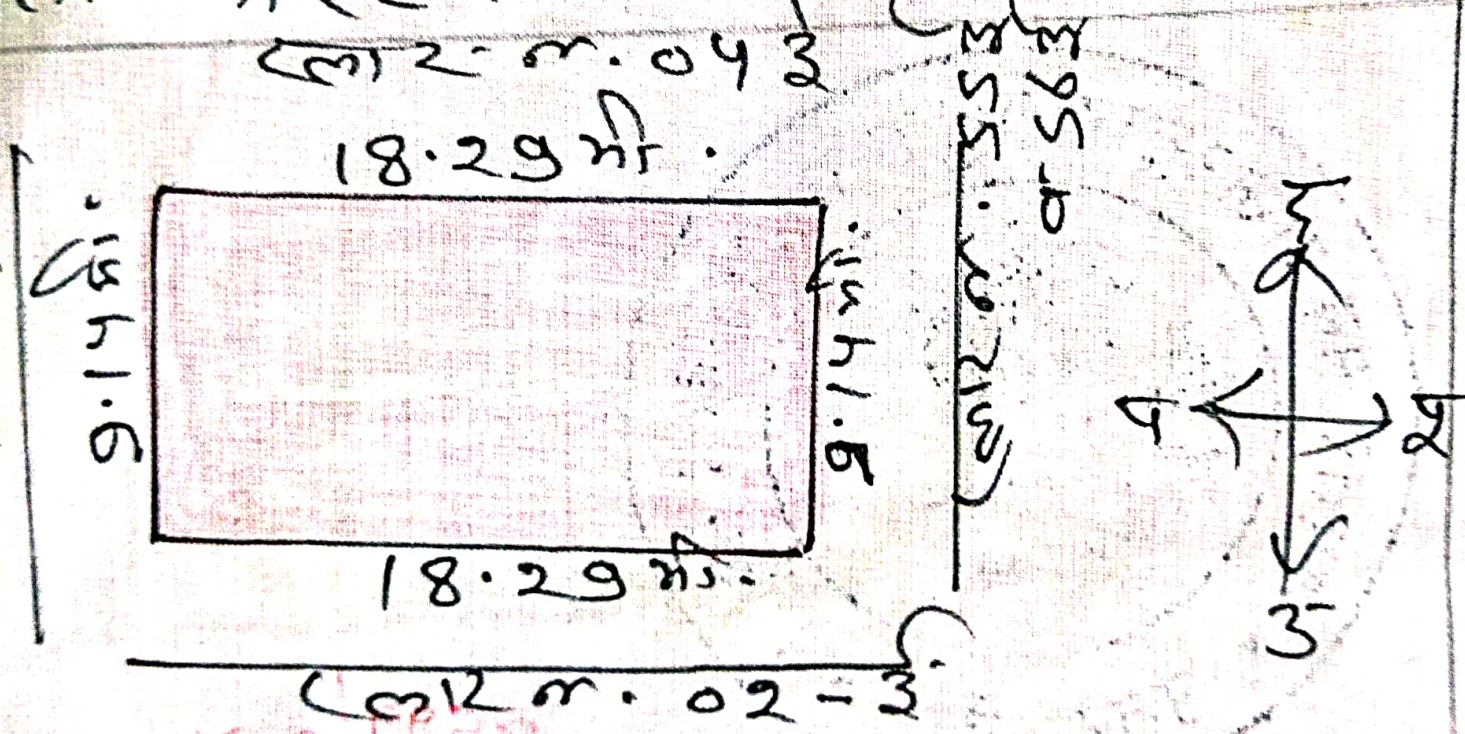

यह अदेश प्रलेख सं० 8599/2024
के साथ संलग्न है।

उप निबन्धक
प्रथम मथुरा